



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-09042025-262366  
CG-RJ-E-09042025-262366

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 1639]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

रेल मंत्रालय  
(पश्चिम मध्य रेलवे)  
अधिसूचना  
कोटा, 5 अप्रैल, 2025

का.आ. 1670(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (5) उल्लेखित जिलों के सम्बन्ध में राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के स्तम्भ (2) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तम्भ (3) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्रधिकृत किया जाता है।

## सारणी

क्रम सं	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कोटा-मधुरा सेक्शन में मध्य भरतपुर जिले में समपार संख्या 231 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन	उच्चैन	भरतपुर

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कोटा-मथुरा सेक्शन में मध्य भरतपुर जिले में समपार संख्या 242 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर
3	कोटा-मथुरा सेक्शन में मध्य मथुरा जिले में समपार संख्या 258 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, सयुक्त संगठन, मथुरा	गोवर्धन	मथुरा

[ कम्प्यूटर नं. 300102फा. सं. ई.-पमरे-केटीटीसी0इंजसी (एमआईसीएस)/5/2025-ओ/ओ उप.मुख्य इंजी/सी-II/कोटा]

विजय पाण्डेय, मुख्य परियोजना प्रबंधक निर्माण

### MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

### NOTIFICATION

**Kota, the 5th April, 2025**

**S.O. 1670(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Projects in the State of Rajasthan, Uttar Pradesh relating to Sub- Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Railway Project.

### TABLE

S.No.	Name of Project	Competent Authority	Subdivision	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota – Mathura section in Bharatpur District Construction of Road Over Bridge on LC No. 231	Sub Divisional Magistrate, Uchchain	Uchchain	Bharatpur
2	Kota – Mathura section in Bharatpur District Construction of Road Over Bridge on LC No. 242	Sub Divisional Magistrate, Bharatpur	Bharatpur	Bharatpur
3	Kota – Mathura section in Mathura District Construction of Road Over Bridge on LC No. 258	Special Land Acquisition Officer, Joint Organization, Mathura	Goverdhan	Mathura

[Computer No. 300102 F. No. E- WCR-KTTC0ENG(MICS)/5/2025-O/o DY.CE/C-II/KOTA]

VIJAY PANDEY, Chief Project Manager, Construction